रोहिताश आदि - सुंकी देवी आदि अपील नं. 253/12

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15/10/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर रो कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 253/2012

1 रोहिताश उम्र 55 साल पुत्र पतासी पुत्र रामदेवा
2 रामसिह उम्र 50 साल पुत्र पतासी पुत्र रामदेवा
समस्त जाति कहार निवासी मेहरो की ढाणी निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 लक्ष्मी देवी पुत्री रामदेवा पत्नी तनसुख जाति कहार निवासी ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 बोदी देवी पुत्री रामदेवा पत्नी ओमप्रकाश जाति कहार निवासी करकड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 चूंकी देवी पत्नी गीदा
2 मंगलचन्द पुत्र गीदा
3 मूलचन्द पुत्र गीदा
4 मोहनलाल पुत्र गीदा
5 छोटूराम पुत्र गीदा
6 गीता पुत्री गीदा
7 मैना पुत्री गीदा
8 श्योराम पुत्र भूरा
9 रामपाल पुत्र गोरूराम
10 बिड़दाराम पुत्र गोरूराम
11 श्योलाराम पुत्र गोरूराम
12 सांवतराम पुत्र गोरूराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 मु. भगवानी बेवा गोरूराम (नाम हजफ दिनांक 5.4.23)
14 हुक्माराम पुत्र रामेश्वर
15 जगदीश पुत्र रामेश्वर
16 देबूराम पुत्र रामेश्वर
17 सिन्जा बेवा रामेश्वर
समस्त जाति कहार निवासीगण ढाणी कहारान तन बाजौर तहसील व जिला सीकर राज.।
18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

19 कमला देवी पत्नी गणपत (गणपत पुत्र रामेदवा) जाति कहार निवासी कहारो की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर।
20 भगवानी पुत्र भूरा पत्नी परमानन्द जाति कहार निवासी अलोदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
21 घीसी पुत्री भूरा पत्नी सुण्डाराम जाति कहार निवासी केड़गुढ़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2002
मु.नं. 615/99 बउनवानी गीदाराम बनाम राज्य सरकार
आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर अपील अन्तर्गत
धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भीम सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 15.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 615/1999 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2002 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्टस द्वारा एक वाद उद्घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 788, 789, 588/574/4 वाके ग्राम बाजोर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में भूरा के जायंदा पुत्र रामदेवा के वारिसान अपीलांट संख्या 1 व 2 की माता पतासी, अपीलांट संख्या 3 व 4 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 19, 20, 21 को व न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 8 भूरा के पुत्र व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 17 के पति या पिता को पक्षकार ही नही बनाया न ही भूरा की वंशावली में अंकित किया, जबकि समस्त प्रथम श्रेणी के वारिस है। इस प्रकार वादीगण द्वारा अधूरी वंशावली पेश करने व भूरा के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में पारित निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के पति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

एवं पिता जिनका अब स्वर्गवास हो चुका है स्व. गीदाराम के अपने सम्पूर्ण वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि को पूर्वजो के समय से कदीमी व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से सैकड़ो सालो से पूर्वजो की होना अभिकथित किया है। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियां भूरा के हक अधिकार की भूमियां थी जिसमें भूरा के समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस का हक हिस्सा था जिसके बाबत अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के पिता व पति को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निर्णय व डिकी सर्वथा कानून के विपरित है। भूमि खसरा नम्बर 788 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 789 रकबा 0.53 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम कहारो की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर मृतक भूरा के हक अधिकार की होने व भूरा के समस्त पुत्र पुत्रियों का समान हक हिस्सा होने से अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का 1/28 हिस्सा, अपीलांट संख्या 3 व 4 का 2/28 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 19 का 1/28 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 20, 21 का 1/7 + 1/7 कुल 2/7 हक हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 का 1/7 हक हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 का 1/7 हक हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 13 का 1/7 हक हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 17 का 1/7 हक हिस्सा वैध रूप से है तथा इसी अनुसार वादग्रस्त भूमियों पर पक्षकारों का कब्जा काश्त है इसलिए अपीलांट को इनके हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्रार्थनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के पिता व पति ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में मृतक भूरा की आधी अधूरी वंशावली पेश कर भूरा के प्रथम श्रेणी के वैध वारिसान को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया, जबकि अपीलांट संख्या 1 व 2 की माता व अपीलांट संख्या 3 व 4 मृतक भूरा के पुत्र रामदेवा की पुत्रियां है जो प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा वादग्रस्त भूमियों में अपीलांट का विरासतन हक हिस्सा है। इसलिए अपीलान्ट के वैध हक अधिकार प्रभावित होते है। इसलिए सहायक कलेक्टर सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2002 से अपीलांट व्यथित पक्षकार है जिन्हें अपील करने का पूर्णय अधिकार है, इसलिए अपीलांटस को अपील करने की इजाजत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

दिया जाना उचित आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिस बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है। जानकारी से अंदर मियाद आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.09.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील 20.12.2012 को धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। यह अपील 10 साल के असाधारण विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट भूरा के जायन्दा पुत्र रामदेवा के वारिसान है। विचारण न्यायालय में दावा भूरा की विरासत के आधार पर डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे रामदेवा भूरा का पुत्र होना प्रकट होता हो, विवादित भूमि पर रामदेवा अथवा उसके वारिसान के कब्जे काश्त का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अपीलांट की अपील धारा 5 व धारा 96 के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.09.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील 20.12.2012 को धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। यह अपील 10 साल के असाधारण विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का कथन है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

कि अपीलांट भूरा के जायन्दा पुत्र रामदेवा के वारिसान है। विचारण न्यायालय में दावा भूरा की विरासत के आधार पर डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे रामदेवा भूरा का पुत्र होना प्रकट होता हो, विवादित भूमि पर रामदेवा अथवा उसके वारिसान के कब्जे काश्त का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 5 व धारा 96 के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर